न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 24 / 2024 दायरे दिनाँक 01.02.2024

वादी

1. मुकेश कुमार पुत्र चोखाराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना—कुचामन राज0
2. मांगीलाल पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी मोड़ियावट तहसील मौलासर जिला डीडवाना—कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. मीरादेवी पत्नी गणपतराम जाति रेगर निवासी खाखोली तहसील मौलासर जिला डीडवाना—कुचामन राज0।
2. रामप्यारी पत्नी बुधाराम
3. मूलाराम पुत्र पांचाराम
4. मदनलाल पुत्र पांचाराम
5. मगनी पुत्री पांचाराम
6. सुगनी पुत्री पांचाराम
7. मोहनी पुत्री पांचाराम
8. चूंकी पुत्री पांचाराम समस्त जाति नायक निवासीगण खाखोली तहसील मौलासर जिला डीडवाना—कुचामन राज0।
9. तहसीलदार मौलासर।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश कुमार थोरी वकील वादी।

—:: अन्तिम निर्णय ::—

दिनाँक 08.07.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि सरहद ग्राम खाखोली तहसील मौलासर पटवार हल्का खाखोली के खेत खसरा सं0 266 रकबा 0.5600 हैक्टे0 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 27.11.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मौलासर को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांकः राजस्व / 2024 / 11 दिनाँक 03.01.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः राजस्व / 2024 / 11 दिनाँक 03.01.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :—

—:: आदेश ::—

सरहद ग्राम खाखोली तहसील मौलासर पटवार हल्का खाखोली के खेत खसरा सं0 266 रकबा 0.5600 हैक्टे0 की भूमि का वादीगण व प्रति[illegible] मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थ[illegible]न प्रस्ताव जरिये पत्रांकः पत्रांकः राजस्व / 2024 / 11 दिना[illegible] में वर्णि[illegible]कारान् को [illegible]तेदार काश्तकार घोषित किया जाकर [illegible] दिए जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:02:33 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: राजस्व / 2024 / 11 दिनाँक 03.01.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 08.07.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:02:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner